न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 73/2020

1. पप्पू पुत्र मोहन
2. गोपाल पुत्र मोहन
3. पांची पत्नि स्व.मोहन
4. श्रवण पुत्र मोहन
5. सम्पत पुत्र मोहन

समस्त जातिगण बाबर निवासी गण सांपला तहसील सरवाड जिला अजमेर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति बाबर
2. उच्छवा देवी पत्नि लालाराम जाति कुम्हार निवासी सांपला तह.सरवाड
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़
4. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय तहसील सरवाड

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री द्वारका प्रसाद पंचोली प्रार्थीगण।
2. श्री विष्णू व्यास अप्रार्थीगण 1.व 2

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। यह है कि प्रार्थी ग्राम सांपला के ख. नं. जो निम्न प्रकार से है।

खाता सं. पुराना	खाता सं. नया	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
136	139	1844/3277	0.16 है.	नहरी 2
		852	0.31 है.	नहरी 2
		857	0.17 है.	नहरी 2

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के प्रत्येक का 1/10 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है । उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में वाद वर्णित आराजी को प्रार्थीगण को रहन कर रखा है तथा आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है वाद वर्णित भूमि मौके व रिकार्ड में अविभाजित है तथा आराजीयात का कोई बंटवारा नही हो रखा है इससे बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 अवैध नाजायज रूप से वाद वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान अन्तरण हस्तान्तरण व खड्डे को खोदकर नष्ट भ्रष्ट करने पर उतारू है तथा आये दिन लडाई झगडा बेदखल करने की धमकिया दे रहे है । जिसका उक्त अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नही है। यह कि उक्त भूमि अविभाजित संयुक्त खाते की भूमि है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है यह कि प्रार्थीगण अपने हिस्से की पुश्तैनी आराजीयात से जबरन

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner

बेदखल हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना कतई संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्राईमा पेशाई केस है सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण स्वंय उनके नौकर–चाकर हाली सीरी मुख्त्यार परिवारजन आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व, आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे। मौके की यथास्थिति को बनाये रखें।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सांपला संवत् 2071–74

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी 1 वाद वर्णित आराजी के 1/2 हिस्सा पर उसका स्वामित्व होना बताया व पैरा संख्या 4 में वर्णित कथन गलत व मनगढंत होने से अस्वीकार है अप्रार्थी 1 को वाद वर्णित आराजी के 1/2हिस्से को रहन,बेचान,अन्तरण व हस्तान्तरण करने का विधिक हक अधिकार प्राप्त है तथा अप्रार्थी सं 1 ने वाद वर्णित आराजीयात के खसरा नम्बर 852 में से 1/2 हिस्से का सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिनांक 3.6.2020 को विक्रय पत्र पंजीयन करवाया गया जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थीगण को भी थी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मनगंढत व झूठा है अप्रार्थी 1 को नाहक परेशान करने की गरज से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा जबाब प्रस्तुत नही किया । जिस पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये जवाबबंद किया गया। बहस वादी उभय पक्ष वकील सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 रिर्कोडेड सयुंक्त खातेदार है अतः प्रथम दृश्टया प्रकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 के पक्ष मे समान प्रतित होता है।

चूंकि वादगत भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 1 सह खातेदार है और सहखातेदार की भूमि पर प्रत्येक इंच पर अपने स्वत्व तक प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माने जाने की विधिक अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन भी पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल नहीं है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन हेतु वाद लंबित है। प्रार्थी के हक व अधिकार गुणावगुण व साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में तय किए जांएगें एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थीगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
सरवाड़

Scanned with CamScanner